उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
पत्रांक– 176/नि0स0–स0/चि0स्वा0चि0शि0वि0/2025
देहरादून : दिनांक– 05 अगस्त, 2025

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी अंतर्गत धराली में हुई अतिवृष्टि/बादल फटने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि आज दिनांक 05 अगस्त, 2025 को जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत धराली में बादल फटने के कारण जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना है, जिस हेतु अपने स्तर से तत्काल निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करें–

1. घटनास्थल पर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों (जिसमें सर्जन, निश्चेतक, फिजीशियन, आर्थो0 सर्जन) की एक टीम की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
2. विषयगत प्रकरण पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम निदेशक, गढवाल मण्डल पौडी के निर्देशन में कार्य करेगी।
3. आस–पास के जनपदों से 108 एम्बुलेन्स सेवा से समन्वय स्थापित करते हुये आपदाग्रस्त क्षेत्र में तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उक्त हृदयविदारक घटना अतिसंवेदनशील है, जिसपर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुये एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रदर्शित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,

5/8/2025

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में बेड की पर्याप्त व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

5/8/2025

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पत्र सं0–23प / दैवीय आपदा / 07 / 2018 20924 देहरादून, दिनांक 05 अगस्त, 2025

विषयः– **वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत धराली में हुई अतिवृष्टि / बादल फटने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप विदित हैं कि आज दिनांक 05.08.2025 को तहसील भटवाड़ी के अन्तर्गत धराली में बादल फटने के कारण जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना है। जिसके दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर विभागीय तैयारियॉ सुनिश्चित की जानी हैः–

1. आपदा प्रभावित स्थलों में चिकित्सा सेवाओं का निर्बाध्य रूप से संचालन किये जाने हेतु प्रत्येक चिकित्सा इकाईयों में पर्याप्त औषधि एवं उपकरण इत्यादि का भण्डारण तथा एम्बुलेंस की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित रहे।
2. पूर्व में चिन्हित किए गए High risk vulnerable groups यथा गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, दिव्यांगजन, वृद्धजन को प्राथमिकता के आधार पर safe rescue कर यथोचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
3. प्रत्येक चिकित्सा इकाई स्तर पर Quick Response Team को किसी भी आपदा की स्थिति में अविलम्ब स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
4. अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कर्मचारी / अधिकारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाए।
5. 108 एम्बुलेंस सेवा से समन्वय बनाए रखें जिससे कि Response time कम किया जा सके।
6. किसी स्वास्थ्य इकाई के आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त / निष्क्रिय होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए।
7. किसी भी आकस्मिकता / आपदा की स्थिति में राज्य स्तर पर नामित डॉ0 बिमलेश जोशी, सहायक निदेशक, राज्य नोडल आपदा प्रबंधन (**मो0नं0. 9997331155**) से सहयोग लिया जा सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अतिवृष्टि के कारण आई आपदा संबंधी विभिन्न घटनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(शिखा जंगपांगी)
निदेशक(चिकि0स्वा0)

D:\preeti\Aapda\Letter.doc

पत्र सं0–23प / दैवीय आपदा / 07 / 2018 / पार्ट–1 20925 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकि0स्वा0एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निदेशक, चिकि0स्वा0एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड पौड़ी गढवाल।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, एम्स ऋषिकेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपदा के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों से रेफर किए गए घायलों हेतु आवश्यक चिकित्सीय सुविधा देने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपदा के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों से रेफर किए गए घायलों हेतु आवश्यक चिकित्सीय सुविधा देना सुनिश्चित करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि महानिदेशालय के पत्र संख्या–23प / दैवीय आपदा / 07 / 2018 / 18045 दिनांक 28.07.2025(छायाप्रति संलग्न) में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं साथ ही अपने जनपदों के समस्त मेडिकल कॉलेज / बड़े चिकित्सालयों(राजकीय / निजी) को आपदा की स्थिति में सेवाएं देने हेतु सतर्क करना सुनिश्चित करें।
7. डॉ0 विमलेश जोशी, सहायक निदेशक राज्य नोडल (स्वास्थ्य) आपदा प्रबन्धन।
8. कार्यालय प्रति।

8/8/25

(शिखा जंगपांगी)
निदेशक(चिकि0स्वा0)